28-2-18	प्रार्थी अपीलार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 ता 14 के वकील उपस्थित। पेशकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो तथा मूल अपील के साथ नत्थी हो।	

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)